अत्यन्त महत्वपूर्ण
समयबद्ध/सूचना अधिकार/तत्काल कार्यवाही

प्रेषक,
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

१-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।
२-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
३-निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।

पत्रांकः-सूचना प्रकोष्ठ/ /सू०अ०नियमा०/(1)S(01)/2014-15 दिनॉक 12 अगस्त, 2014

विषयः- **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत तृतीय पक्ष की सुनवाई किये बिना अनुरोधकर्ता/अपीलकर्ता को व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मा० श्री राजेन्द्र कोटियाल राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या 9465 दिनांक 06.08.2014 द्वारा निर्देशित किया गया है कि उनकी पीठ में माह जनवरी २०१४ से शिक्षा विभाग से सम्बन्धित शिकायतें एवं द्वितीय अपीलों की सुनवाई की जा रही है, पर यह देखने मे आ रहा है कि लोक सूचना अधिकारी से जब कोई अपीलार्थी किसी तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत सूचना मांगता है तो अधिकांश लोक सूचना अधिकारी तृतीय पक्ष को सुने बिना ही अपीलार्थी को सूचना प्रदान कर देते है, जो कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा-११ के विपरीत है, क्योंकि तृतीय पक्ष से सम्बन्धित सूचना प्रदान करने से पूर्व तृतीय पक्ष को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करना आवश्यक है। अतः महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधीनस्थ समस्त लोक सूचना अधिकारियों को कठोर निर्देश जारी कर दे कि वह तृतीय पक्ष के बारे में मांगी गई सूचना को देने से पूर्व सूचना अधिकार अधिनियम के धारा-११ का अवश्य ही पालन किया जाए और यदि सूचना देना जनहित में है, तब ही तृतीय पक्ष की सूचना दी जाए। यान्त्रिक रुप से सूचना देना विधि विरुद्ध है और आयोग इस परम्परा को अत्यन्त गम्भीरता से लेता है और भविष्य में आयोग द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति नही होगी और यदि कोई लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी यांत्रिक रुप से कार्य करते हुए पाया गया तो न सिर्फ उनके विरुद्ध, बल्कि लोक प्राधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही करने के लिए आयोग को बाध्य होना पड़ेगा।

कृपया महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा अपने अधीनस्थ समस्त लोक प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को आयोग के इस मत से अवगत कराते हुए आयोग को भी कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः माननीय आयोग के कार्यालय ज्ञाप की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने के निर्देश प्राप्त हुए है कि माननीय आयोग के निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने हेतु अपने अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करेंगें।

भवदीया,

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०- सूचना प्रकोष्ठ/ 4312-60 / सू०अ०नियमा०/(1)S(01)/2014-15 दिनॉक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- 1- सचिव, मा० सूचना आयोग उत्तराखण्ड, रिंग रोड लाडपुर, देहरादून की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया मा० राज्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्याः- 9465 दिनांक 06.08.2014 के अनुपालन में संज्ञानार्थ।
2- एम०आई०एस० अधिकारी, महानिदेशालय को विभाग की वेबसाइट में अपडेट करने हेतु प्रेषित।
3- समस्त लोक सूचना अधिकारी/प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी उत्तराखण्ड को सम्बन्धित निदेशालय के माध्यम से अनुपालनार्थ प्रेषित।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

राजेन्द्र कोटियाल
Rajendra Kotiyal

राज्य सूचना आयुक्त
State Information Commissioner

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन
मसूरी बाईपास रोड, रिंग रोड
लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड
Uttarakhand Information Commission
R.T.I. Bhawan, Mussoorie Bypass, (Ring Road)
Ladpur, Dehradun, Uttarakhand
Mob.: 9412054110

अति आवश्यक

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी की पीठ में माह जनवरी 2014 से शिक्षा विभाग से सम्बन्धित शिकायत एवं द्वितीय अपीलों की सुनवाई की जा रही है, पर यह देखने में आ रहा है कि लोक सूचना अधिकारी से जब कोई अपीलार्थी किसी तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत सूचना मांगता है तो अधिकांश लोक सूचना अधिकारी तृतीय पक्ष को सुने बिना ही अपीलार्थी को सूचना प्रदान कर देते हैं, जो कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा–11 के विपरीत है, क्योंकि तृतीय पक्ष से सम्बन्धित सूचना प्रदान करने से पूर्व तृतीय पक्ष को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करना आवश्यक है। अतः महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधीनस्थ समस्त लोक सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय अधिकारियों को कठोर निर्देश जारी कर दें कि वह तृतीय पक्ष [illegible] में मांगी गई सूचना को देने से पूर्व सूचना अधिकार अधिनियम के धारा–11 का अनुसरण [illegible] किया जाए और यदि सूचना देना जनहित में है, तब ही तृतीय पक्ष की सूचना दी जाए। यांत्रिक रूप से सूचना देना विधि विरुद्ध है और आयोग इस परम्परा को अत्यन्त गम्भीरता से लेता है और भविष्य में आयोग द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और यदि कोई लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी यांत्रिक रूप से कार्य करते हुए पाया गया तो न सिर्फ उनके विरुद्ध, बल्कि लोक प्राधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही करने के लिए आयोग को बाध्य होना पड़ेगा।

कृपया महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा अपने अधीनस्थ समस्त लोक प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को आयोग के इस मत से अवगत कराते हुए आयोग को भी कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि सचिव, सामान्य प्रशासन उत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के समस्त लोक प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय अधिकारियों को आयोग के उक्त मत से अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से यथाशीघ्र आयोग को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

6/8/14
राज्य सूचना आयुक्त
राजेन्द्र कोटियाल
06/08/2014